बिहार सरकार

पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग, बिहार

Directorate of Fisheries, Bihar, Patna

''पठारी क्षेत्र तालाब निर्माण आधारित मत्स्य पालन की योजना''

योजना का उद्देश्यः–

योजना का मुख्य उद्देश्य राज्य के पठारी बाहुल्य जिला में तालाब निर्माण एवं सम्बद्ध सहायक इकाईयों का अधिष्ठापन कर मत्स्य पालन को बढ़ावा देना है।

योजना का क्रियान्वयनः–

1. योजना का क्रियान्वयन दक्षिणी बिहार के चिन्हित पठार बाहुल्य जिला यथा बांका, औरंगाबाद, गया, कैमूर, नवादा, जमुई, मुंगेर एवं रोहतास में किया जायेगा।
2. यह योजना अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के मत्स्य कृषकों के लिए है।
3. इस योजना का पैकेज इकाई लागत 16.70 लाख प्रति एकड़ है।
4. इस योजनान्तर्गत पैकेज इकाई के रूप में विभिन्न पाँच अवयव होंगे यथा अधिकतम 1 एकड़ एवं न्यूनतम 0.5 एकड़ रकवा में तालाब का निर्माण, ट्यूबवेल, सोलर पम्पसेट, उन्नत इनपुट तथा तालाब पर एक शेड निर्माण।

अनुदान देयः–

इस योजना के अन्तर्गत लाभुकों को संबद्ध इकाइयों के अधिष्ठापन पर ₹ 16.70 लाख/एकड़ का 80 प्रतिशत अनुदान देय है।

लाभार्थी का चयनः–

1. योजनान्तर्गत तालाब निर्माण हेतु लाभुक को निजी/लीज पर भूमि होना आवश्यक है।
2. तालाब के निजी स्वामित्व हेतु भू–स्वामित्व प्रमाण पत्र/अद्यतन मालगुजारी रसीद, लीज के भूमि में लीज का नन–जूडीसीयल स्टांप (1000/–रूपया) पर एकरारनामा (न्यूनतम 09 वर्ष का) आवेदन के साथ संलग्न करना आवश्यक होगा।
3. लाभार्थी का चयन उप मत्स्य निदेशक की अध्यक्षता में कमिटी के द्वारा किया जाएगा।

आवेदन की प्रक्रियाः–

योजना हेतु आवेदन http://fisheries.bihar.gov.in पर ऑनलाईन प्राप्त किये जायेंगे। आवेदन करने की अंतिम तिथि 20.03.2023 तक।

इस योजना की विस्तृत जानकारी राज्यादेश संख्या–386, दिनांक–23.01.2023 से प्राप्त की जा सकती है जो विभागीय वेबसाईट https://state.bihar.gov.in/ahd/CitizenHome.html पर प्रदर्शित है।

PR No.- 15986 (Animal)D. 2022-23